प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/10/25.	वकील वादी उप० । बहस अंतिम प्रार्थना पत्र सुनी गयी । पत्रावली वास्ते आदेश 10/11/25 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
10/11/25.	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली सारिक कार्यवाही ... दिनांक 12/11/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
12/11/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई । प्रा० प्रार्थी LR Act 1956 की धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो । (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी–मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं0 244/प्रा.पत्र/2024

तारीख दायरा 23.10.2024

तारीख फैसला 12.11.2025

प्रकाश मीणा आयु 57 वर्ष आ0 गणेश लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लोप तह0 तालेडा जिला बूंदी (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार सा. तालेडा जिला बूंदी (राज0)

–अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री अब्दुल रईस

अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135, 136 राज. भू.–राजस्व अधि.

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 19 व पुराना 18 की कृषि भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2869 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोपं पटवार हल्का बल्लोप भू.अभि.नि.बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.) मे स्थित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार के रूप में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र गणेश दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम प्रकाश मीणा पुत्र गणेश है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि नामान्तकरण तस्दीक करवाते समय प्रार्थी के परिवारजन द्वारा सहवन से प्रार्थी का बोलता नाम औमप्रकाश अंकित करवा दिया था। जिसके कारण राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम औमप्रकाश अंकित हो गया है । जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रकाश मीणा ही है। प्रार्थी के उपरोक्त सही नाम प्रकाश मीणा के नाम से ही प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि बने हुये है तथा खाता संख्या 129 की खसरा सं. 680/489 रकबा 0.2995 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोप स्थित की जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता का नाम गणेशलाल अंकित हो रहा है। इस कारण से प्रार्थी अपना बोलता नाम व वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम औमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश मीणा अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम के स्थान पर सहवन से प्रकाश मीणा के स्थान पर ओमप्रकाश अंकित हो जाने के कारण प्रार्थी को सरकारी योजना, अनुदान का लाभ प्राप्त करने तथा राजस्व सम्बंधी ऑनलाईन कार्यो में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज नाम ''औमप्रकाश'' के स्थान पर प्रकाश मीणा राजस्व रिकार्ड में अंकित कर उक्त नाम का शुद्धीकरण (संशोधन) करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने नाम का संशोधन करवाने के लिए राजस्व अभियान मे भी निवेदन किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अन्तिम बार प्रार्थी ने दिनांक 04–06–2024 को अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार तालेडा को भी निवेदन किया तो उनके द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश से ही नाम का इन्द्राज सही हो सकेगा। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण है। जो निरन्तर पैदा हो रहा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रिकार्ड मे सहवन से दर्ज अपने नाम औमप्रकाश को संशोधित करवाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में औमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश मीणा अंकित करवाये व इस आशय का आदेश डिक्री माननीय न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरुद्ध निम्न आशय का आदेश व डिक्री प्रदान की जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम औमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश संशोधित कर राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अंकित करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा को प्रदान करे। विकल्प में प्रार्थी का नाम उपरोक्तानुसार सही किया जाना सम्भव नही होने की स्थिति में प्रार्थी के जमाबन्दी में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार उर्फ लगाकर औमप्रकाश उर्फ प्रकाश मीणा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे अंकित कर नाम संशोधन करने के आदेश तहसीलदार तालेडा को प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1417 दिनलांक 30.4.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि खाता संख्या नया 19 व पुराना 18 की कृषि भूमि खसरा संख्या

Scanned with OKEN Scanner

0.8741 हैक्टेयर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2869 हैक्टेयर ...म बल्लोपं पटवार हल्का बल्लोप भू.अभि.नि.बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.) प्रार्थी का नाम ...श आ0 गणेशलाल दर्ज रेकार्ड है जबकि अन्य भूमि खाता संख्या 129 की खसरा सं. 680/489 रकबा 0. ...995 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोप स्थित की जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता का नाम गणेशलाल अंकित हो रहा है। भूमि खाता संख्या नया 19 व पुराना 18 की कृषि भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2869 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोपं पटवार हल्का बल्लोप भू.अभि.नि.बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.) प्रार्थी द्वारा कय की गई है एवं तत्समय प्रार्थी के पहचान पत्र इत्यादि ओमप्रकाश के नाम से बने होने से रजिस्ट्री ओमप्रकाश के नाम से करवायीं गयी थी, तथा उसी आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया था। वर्तमान में प्रार्थी के पहचान सम्बन्धित दस्तावेज प्रकाश पुत्र गणेशलाल के नाम से बने हुए है।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यायोचित निर्णय हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 19 व खाता सं0 129 वाके ग्राम बल्लोप संवत 2076 एवं स्वयं का आधार कार्ड सं0 727291831918 पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम औमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश संशोधित कर राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अंकित करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा को प्रदान करे। विकल्प में प्रार्थी का नाम उपरोक्तानुसार सही किया जाना सम्भव नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी के जमाबन्दी में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार उर्फ लगाकर औमप्रकाश उर्फ प्रकाश मीणा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे अंकित कर नाम संशोधन करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी प्रार्थी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई है जो कि तत्समय प्रार्थी के पहचान सम्बन्धित दस्तावेजात् ओमप्रकाश के नाम से बने होने से तदनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश दर्ज रेकार्ड किया गया था ना कि राजस्व रेकार्ड में त्रुटी हुई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पोषणीय नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सूनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड खाता संख्या नया 19 व पुराना 18 की कृषि भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2869 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोपं पटवार हल्का बल्लोप भू.अभि.नि.बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.) में जर्ये विकय पत्र के नामान्तकरण से दर्ज रेकार्ड हुआ है जो कि विकय पत्र में दर्ज नाम के आधार पर दर्ज किया गया था। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में कोई त्रुटी नही हुई है प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहता है। यदि राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के दौरान कोई त्रुटी होती तो उसे दुरूस्त किये जाने के प्रावधान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्त किय जाने का प्रावधान है किन्तु प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहता है जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पोषणीय नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner